

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1171] No. 1171] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2019/फाल्गुन 20, 1940

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2019/PHALGUNA 20, 1940

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 8 मार्च. 2019

का.आ. 1314(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 146, धारा 178 और धारा 191 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा 08 मार्च, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय VIII के भाग VI, भाग X और भाग XI के उपबंध प्रवर्तन में आएंगे।

[फा. सं. 5/05/एफएम/2017]

ए. एम. बजाज, संयुक्त सचिव (वित्तीय बाजार)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2019

S.O. 1314(E) —In exercise of the powers conferred by sections 146, 178 and 191 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government hereby appoints the 08th day of March, 2019, as the date on which the provisions of Part VI, Part X and Part XI of Chapter VIII of the said Act shall come into force.

[F. No. 5/05/FM/2017]

A. M. BAJAJ, Jt. Secy. (Financial Markets)

1654 GI/2019